भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2898
(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आरसेटी की स्थिति

2898. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) योजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने आरसेटी केंद्र स्थापित किए गए हैं और वे कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आरसेटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने अभ्यर्थी नामांकित, प्रशिक्षित और सफलतापूर्वक नियोजित किए गए तथा तत्संबंधी नियोजन दर क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में जिला-वार कितने आरसेटी केंद्र कार्यशील हैं और कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित और नियोजित किया गया;

(घ) ग्रामीण युवाओं के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में आरसेटी कार्यक्रम की भूमिका सहित इसके उद्देश्य और मुख्य घटक क्या हैं; और

(ङ) उक्त योजना की वित्तपोषण पद्धति, कार्यान्वयन ढांचा और निगरानी तंत्र क्या है तथा इसमें मंत्रालय, राज्य सरकारों, प्रायोजक बैंकों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की क्या भूमिका है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क और घ) जी हां, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक गरीबी उन्मूलन पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बीच स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह कौशल भारत मिशन की एक कार्यनीतिक शाखा के रूप में कार्य करता है और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के कम

से कम 70% नियोजन को सुनिश्चित करने के अधिदेश के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सामान्य मानदंडों के तहत कार्य करता है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रायोजक बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जिले में एक आरएसईटीआई स्थापित करने का प्रावधान है, जिसका प्रबंधन अग्रणी बैंक द्वारा किया जाता है, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा बुनियादी ढांचे के लिए ₹2 करोड़ की सहायता और ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्रशिक्षण की 100% लागत का वित्तपोषण किया जाता है।

आरसेटी 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप अल्पकालिक, मांग-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जिसमें सामाजिक समावेशन पर विशेष बल दिया जाता है। ये संस्थान बैंकों के साथ ऋण लिंकेज की सुविधा भी प्रदान करते हैं और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षार्थियों को दो साल तक हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराते हैं, ताकि उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिल सके।

आज तक, देश के 619 जिलों को कवर करते हुए 632 आरसेटी स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) आरसेटी कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान नामांकित, प्रशिक्षित और सफलतापूर्वक नियोजित हुए अभ्यर्थियों का विवरण, संबंधित नियोजन दर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण के साथ **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) कर्नाटक में इसी अवधि के दौरान कार्यरत आरसेटी केंद्रों की संख्या, प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ) इस योजना का वित्तपोषण पैटर्न, कार्यान्वयन ढांचा और निगरानी तंत्र, साथ ही मंत्रालय, राज्य सरकारों, प्रायोजक बैंकों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिकाएं निम्नानुसार हैं:

वित्तपोषण पैटर्न: ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्रशिक्षण की 100% लागत का वित्तपोषण ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भवन निर्माण के लिए ₹2 करोड़ का अनुदान भी प्रदान करता है और

कार्यान्वयन ढांचा:

- नीति/निधियों में ग्रामीण विकास मंत्रालय सहायता करता है, भूमि में राज्य सरकारें सहायता करती है और प्रायोजन/संचालन में बैंक।
- प्रति जिले एक आरसेटी (अग्रणी बैंक-प्रायोजित); 632 केंद्र परिचालन में हैं।
- वार्षिक कार्य योजना: स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित; ट्रैकिंग के लिए एमआईएस।

निगरानी तंत्र:

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, राज्य/जिला स्तर पर आरसेटी की प्रगति की निगरानी करते हैं।
- राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के राष्ट्रीय निदेशक आरसेटी (एनएसीईआर) राज्य निदेशकों के माध्यम से निगरानी करते हैं; त्रैमासिक डीएलआरएसी समीक्षा; वार्षिक ग्रेडिंग।
- आरएसईटीआई एमआईएस: प्रशिक्षण/नियोजन पर वास्तविक समय का डेटा; राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए एनएलएसीआर (ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में)।
- प्रायोजक बैंकों द्वारा: वार्षिक लेखापरीक्षा और समय-समय पर दौरे ।
- एसआरएलएम/डीपीएम/जिला पंचायतें

हितधारकों की भूमिकाएँ:

- मंत्रालय (एमओआरडी): नीति, वित्त पोषण, पाठ्यक्रम अनुमोदन; एनएलएसीआर/एनएसीईआर के माध्यम से देखरेख करता है।
- राज्य सरकारें: कार्यान्वयन, निगरानी, मुफ्त भूमि, एनआरएलएम/एसआरएलएम के साथ अभिसरण; संगठित करना, आदि।
- प्रायोजक बैंक: प्रशिक्षण, दिन-प्रतिदिन प्रबंधन, नियोजन, प्रशिक्षण के बाद हैंड होल्डिंग, क्रेडिट लिंकेज आदि।

अन्य एजेंसियां: नाबार्ड (विशेष पाठ्यक्रम), एसएलबीसी (समन्वय), एनजीओ (हैंडहोल्डिंग)।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में कार्य कर रहे आरसेटी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरसेटी की संख्या
1	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	1
2	आंध्र प्रदेश	22
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	28
5	बिहार	38
6	छत्तीसगढ़	29
7	दादरा और नगर हवेली	1
8	गुजरात	29
9	हरियाणा	21
10	हिमाचल प्रदेश	10
11	जम्मू और कश्मीर	20
12	झारखंड	25
13	कर्नाटक	32
14	केरल	14
15	लक्षद्वीप	1
16	मध्य प्रदेश	53
17	महाराष्ट्र	36
18	मणिपुर	4
19	मेघालय	5

20	मिजोरम	3
21	नागालैंड	1
22	ओडिशा	30
23	पांडिचेरी	1
24	पंजाब	18
25	राजस्थान	35
26	सिक्किम	1
27	तमिलनाडु	37
28	तेलंगाना	17
29	त्रिपुरा	6
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	2
31	उत्तर प्रदेश	78
32	उत्तराखंड	13
33	पश्चिम बंगाल	19
	कुल योग	**632**

स्रोत: एनएसीईआर

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आरसेटी कार्यक्रम के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान नामांकित, प्रशिक्षित और सफलतापूर्वक नियोजित कुल अभ्यर्थियों की संख्या का ब्यौरा संबंधित नियोजन दर के साथ, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार:

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2020-21			वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2022-23		
		प्रशिक्षित	स्व-रोजगार में / नियोजित	दर (%)	प्रशिक्षित	स्व-रोजगार में / नियोजित	दर (%)	प्रशिक्षित	स्व-रोजगार में / नियोजित	दर (%)
1	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	318	135	42	412	381	92	421	421	100
2	आंध्र प्रदेश	5002	3836	77	7817	6522	83	10935	8792	80
3	अरुणाचल प्रदेश	18	57	317	225	0	0	384	438	114
4	असम	7208	5145	71	10017	8335	83	14328	11087	77
5	बिहार	14868	10817	73	21268	14330	67	28292	22769	80
6	छत्तीसगढ़	7003	4927	70	10030	7257	72	12744	11238	88
7	दादरा और नगर हवेली	560	437	78	561	447	80	761	545	72
8	गुजरात	11233	7859	70	15993	12863	80	20564	16395	80
9	हरियाणा	11301	6744	60	11045	8176	74	14086	8989	64
10	हिमाचल प्रदेश	3227	2019	63	4750	3208	68	6134	4013	65
11	जम्मू और कश्मीर	4552	3955	87	5277	4148	79	7909	6453	82
12	झारखंड	11467	7982	70	13725	10828	79	18979	13844	73

13	कर्नाटक	16333	12649	77	18332	17059	93	24937	19407	78
14	केरल	5090	4752	93	5980	5801	97	9970	7990	80
15	लक्षद्वीप	162	98	60	139	34	24	465	285	61
16	मध्य प्रदेश	19180	15530	81	22956	18490	81	32068	24620	77
17	महाराष्ट्र	16559	13033	79	19606	15251	78	27322	21474	79
18	मणिपुर	287	277	97	364	301	83	920	834	91
19	मेघालय	959	687	72	1649	868	53	2024	1480	73
20	मिजोरम	613	457	75	651	636	98	907	798	88
21	नागालैंड	199	118	59	338	272	80	396	395	100
22	ओडिशा	15321	11574	76	16049	13978	87	20766	17486	84
23	पुदुचेरी	583	420	72	568	485	85	821	780	95
24	पंजाब	7501	5489	73	9241	6972	75	10833	8243	76
25	राजस्थान	19904	12682	64	23160	19032	82	30404	25274	83
26	सिक्किम	202	134	66	203	146	72	411	299	73
27	तमिलनाडु	15233	12517	82	17187	14796	86	26310	21110	80
28	तेलंगाना	3703	2647	71	5413	5214	96	7195	6516	91
29	त्रिपुरा	1893	836	44	2274	1781	78	2744	2237	82
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	408	328	80	535	384	72	624	355	57
31	उत्तर प्रदेश	41995	27673	66	52909	46948	89	55972	46109	82
32	उत्तराखंड	6383	4829	76	6258	4413	71	7007	5599	80
33	पश्चिम बंगाल	5876	4591	78	9182	7073	77	12169	9605	79
	कुल:	**255141**	**185234**	**73**	**314114**	**256429**	**82**	**409802**	**325880**	**80**

जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2025-26 (31.01.2026 की स्थिति के अनुसार)		
		प्रशिक्षित	स्व-रोजगार में / नियोजित	दर (%)	प्रशिक्षित	स्व-रोजगार में / नियोजित	दर (%)	प्रशिक्षित	स्व-रोजगार में / नियोजित	दर (%)
1	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	500	451	90	611	497	81	552	388	70
2	आंध्र प्रदेश	11432	8536	75	16174	12038	74	13940	10274	74
3	अरुणाचल प्रदेश	499	287	58	1042	779	75	680	351	52
4	असम	18132	12155	67	26097	19080	73	18632	11049	59
5	बिहार	30434	24495	80	41900	32128	77	30232	19597	65
6	छत्तीसगढ़	15040	10848	72	19079	14328	75	17980	11361	63
7	दादरा और नगर हवेली	752	528	70	769	547	71	462	395	85
8	गुजरात	23117	15363	66	30705	22256	72	19314	13575	70
9	हरियाणा	15153	10760	71	20647	15061	73	13512	9194	68
10	हिमाचल प्रदेश	6876	5187	75	10450	7614	73	6734	4146	62
11	जम्मू और कश्मीर	8589	6397	74	19785	14325	72	10109	7635	76
12	झारखंड	20760	15370	74	26681	19849	74	18068	11989	66
13	कर्नाटक	25613	20284	79	31238	23696	76	25784	18276	71
14	केरल	10690	8389	78	14614	11355	78	10976	8568	78

15	लक्षद्वीप	467	346	74	589	419	71	449	333	74
16	मध्य प्रदेश	35859	27754	77	50160	36467	73	41897	24864	59
17	महाराष्ट्र	30397	22961	76	41123	30129	73	29041	19446	67
18	मणिपुर	1109	903	81	2664	2057	77	1631	1021	63
19	मेघालय	2508	1580	63	3840	2779	72	2123	1021	48
20	मिजोरम	1055	1053	100	2324	1366	59	983	1252	127
21	नागालैंड	603	332	55	669	484	72	500	385	77
22	ओडिशा	22056	19544	89	30046	24998	83	21289	16682	78
23	पुदुचेरी	911	712	78	1251	880	70	920	518	56
24	पंजाब	12332	9398	76	17779	13274	75	12203	7592	62
25	राजस्थान	33293	26740	80	43116	32669	76	25239	18592	74
26	सिक्किम	439	335	76	1020	717	70	822	507	62
27	तमिलनाडु	29073	23835	82	36951	29561	80	33851	25169	74
28	तेलंगाना	7647	6321	83	10804	8149	75	9403	5605	60
29	त्रिपुरा	3386	2653	78	4309	2765	64	2926	2245	77
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	585	462	79	965	686	71	764	581	76
31	उत्तर प्रदेश	60513	49873	82	81135	61939	76	59269	40479	68
32	उत्तराखंड	7505	5711	76	13203	9503	72	6151	4691	76
33	पश्चिम बंगाल	14094	10709	76	19470	14864	76	15550	10236	66
	कुल:	**451419**	**350272**	**78**	**621210**	**467259**	**75**	**451986**	**308017**	**68**

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2898 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में 20 जनवरी 2026 तक कर्नाटक राज्य में जिलावार कार्यशील आरसेटी और प्रशिक्षित और स्व-रोजगार में / नियोजित उम्मीदवार:

क्र.सं.	जिला	वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2025-26 (31.01.2026 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	बागलकोट	550	307	616	507	805	616	881	714	1225	885	888	531
2	बैंगलोर ग्रामीण	420	299	594	476	858	640	774	578	1005	724	913	579
3	बैंगलोर ग्रामीण	385	507	302	248	606	426	697	512	802	562	722	455
4	बेलगावी	500	313	753	614	824	684	807	655	1039	803	837	451
5	बेल्लारी	542	408	630	480	755	583	758	580	1001	809	803	507
6	बीदर	704	679	634	589	935	894	1071	981	1416	1342	820	604
7	विजयपुर	501	352	570	735	804	584	823	620	1011	734	858	636
8	चामराजनगर	39	6	193	72	755	475	759	600	1007	729	778	537
9	चिकमंगलूर	376	551	580	494	791	627	792	703	904	648	763	571
10	चित्रदुर्ग	658	470	736	721	1055	901	1138	1025	1128	819	902	605
11	दक्षिण कन्नड़	382	318	565	431	751	543	762	577	1012	730	834	601
12	दावणगेरे	591	428	570	549	886	673	955	816	1050	756	785	563
13	धारवाड़	523	354	722	521	799	758	815	698	1100	808	868	631
14	गडग	623	395	542	430	793	525	790	554	1059	792	1000	602
15	गुलबर्गा	393	212	521	430	759	537	846	609	1086	819	826	640
16	हसन	456	491	537	496	750	529	778	600	1046	639	907	706

17	हावेरी	394	324	600	594	798	555	792	570	1013	715	867	656
18	कडगु (कूर्ग)	404	351	505	360	797	605	792	647	805	650	591	508
19	कोलार	484	602	570	385	751	594	758	621	1004	704	902	606
20	कोप्पल	697	434	567	428	822	596	828	567	1062	830	853	511
21	मांड्या	636	249	658	613	808	610	814	635	1053	776	835	677
22	मैसूर	467	339	547	397	784	628	830	561	1005	722	869	661
23	रायचूर	552	309	592	660	803	590	906	775	1005	773	786	557
24	शिमोगा	665	305	627	691	908	878	828	642	1002	803	810	553
25	तुमकुर	468	338	704	585	837	619	830	648	1004	715	902	511
26	उडुपी	395	591	503	370	795	563	825	578	724	621	750	553
27	उत्तर कन्नड़	860	628	754	756	843	734	873	767	1055	929	853	633
28	उत्तर कन्नड़	452	305	530	685	788	803	848	565	805	735	773	770
29	चिक्काबल्लापुरा	463	395	583	591	757	489	761	623	1002	749	645	511
30	बैंगलोर दक्षिण जिला (रामनगर)	475	473	528	604	787	626	755	607	807	673	708	636
31	यादगीर	337	143	476	396	733	522	727	656	1001	702	952	607
32	विजयनगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	107
33	उडुपी	527	567	346	750	0	0	0	0	0	0	0	0
34	बैंगलोर दक्षिण जिला (रामनगर)	414	206	177	401	0	0	0	0	0	0	0	0
		16333	12649	18332	17059	24937	19407	25613	20284	31238	23696	25784	18276

* बंद आरएसईटीआई

स्रोत: एनएसीईआर